भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2564

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना

†2564. श्री राधेश्याम राठियाः

श्री शंकर लालवानी

डॉ. हेमांग जोशीः

श्री भर्तृहरि महताबः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्री अमर शरदराव कालेः

श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

डॉ. के. सुधाकरः

श्री चिन्तामणि महाराजः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः

श्री दामोदर अग्रवालः

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

श्री राहुल सिंह लोधीः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्री गोडम नागेशः

श्री अभिमन्यु सेठीः

श्री नलिन सोरेनः

श्री नव चरण माझीः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक, कटक और पालघर जिलों तथा पाली और दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित संघ राज्यक्षेत्र और जिला-बार ग्राम पंचायतों में पंचायत सशक्तिकरण और जबाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.) तथा अन्य क्षमता निर्माण पहलों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, कटक और पालघर जिलों तथा पाली और दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि राज्य और जिला-वार कितनी है;

(ग) क्या पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज, सुशासन, पारदर्शिता और सेवाओं के परिदान पर उक्त पहलों के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य और जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा कर्नाटक, कटक और पालघर जिलों तथा पाली और दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य और जिला-वार प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है एवं क्या प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 से पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.) लागू की थी। वर्ष 2013-14 से पी.ई.ए.आई.एस. सहित विभिन्न योजनाओं को राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए) योजना में शामिल किया गया था, जिसे अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए) योजना के रूप में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान में, पंचायतों और अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)/जिला स्तरीय संस्थाओं को पंचायतों का प्रोत्साह्नीकरण (आई.ओ.पी) के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो आर.जी.एस.ए योजना का एक केंद्रीय घटक है।

पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते, राज्य का विषय है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से आर.जी.एस.ए की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक शिक्षण

पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई) की क्षमता का निर्माण करना है, विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी शासन क्षमताओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए विकसित करना और एक्सपोजर दौरों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री तैयार करने में सहायता करना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य, कटक और पालघर जिलों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता को मजबूत बनाया है, साथ ही पाली और दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों (एस.पी.आर.सी)/जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (डी.पी.आर.सी)/ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्रों (बी.पी.आर.सी), पंचायत शिक्षण केंद्र (पी.एल.सी), डीपीआरसी के निर्माण, स्वयं के राजस्व स्रोत के लिए विशेष मॉड्यूल विकास, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए, सीमित पैमाने पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी) का आयोजन किया गया है। कर्नाटक राज्य, कटक और पालघर ज़िलों, तथा पाली और दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का विवरण और वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान संशोधित आर.जी.एस.ए के तहत दिये गए प्रशिक्षण का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार) संशोधित आर.जी.एस.ए की योजना के तहत स्वीकृत कार्यात्मक पी.आर.सी, निर्मित डी.पी.आर.सी और विकसित पी.एल.सी का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक- II, III और IV** में दिया गया है।

संशोधित आर.जी.एस.ए के तहत जिला/ग्राम पंचायत के आधार पर नहीं, बल्कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। आर.जी.एस.ए योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित, जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण, जिसमें कर्नाटक राज्य, ओडिशा का कटक जिला और महाराष्ट्र का पालघर जिला, राजस्थान का पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखंड का दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, **अनुलग्नक-V** में दिया गया है। पंचायतों का प्रोत्साहीकरण योजना के तहत संबंधित पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों/ब्लॉक पंचायतों/जिला पंचायतों/राज्य स्तरीय संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों (2023-2025) के दौरान जारी पुरस्कार राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं जिला वार विवरण **अनुलग्नक-VI** में है।

(ग) जी हां। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आई.आर.एम.ए) के माध्यम से संशोधित आर.जी.एस.ए का एक बाह्य मूल्यांकन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का शीर्षक 'संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का मूल्यांकन' है, वर्ष 2026 के दौरान जारी किया गया था। इन मूल्यांकनों से पता चलता है कि इस योजना की व्यवस्थित और कई स्तरों वाले क्षमता निर्माण, जिसमें कक्षा/विषयगत मॉड्यूल, एक्सपोज़र दौरा और डिजिटल शिक्षण शामिल हैं, से पंचायत के संचालन, नियोजन और कार्यान्वयन (जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना भी शामिल है), डिजिटल शासन, नागरिकों की भागीदारी और वित्तीय प्रबंधन के मामलों में पी.आर.आई की क्षमताओं को बढ़ाया है। प्रशिक्षण के बाद किए गए मूल्यांकनों में जानकारी और कामकाज के तरीकों में स्पष्ट सुधार देखा गया

है, जिससे स्थानीय शासन को और प्रभावी बनाने तथा सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण करने में मदद मिली है। आई.ओ.पी घटक के लिए, आई.आर.एम.ए की रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, यह भी देखा गया कि उक्त योजना ने पंचायतों को पारदर्शी, निष्पादन-आधारित मान्यता के माध्यम से अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) में उत्तर दिया गया है।

अनुलग्नक - I

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संशोधित आर.जी.एस.ए के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (दिनांक 10.07.2026 की स्थित के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1874	2865	5221	6354	0
2	आंध्र प्रदेश	649156	165001	325643	575492	49937
3	अरुणाचल प्रदेश	3,711	6138	12344	15318	0
4	असम	227733	348183	144936	173782	1251
5	बिहार	404406	163809	435896	275560	27818
6	छत्तीसगढ़	121099	163292	90559	182705	58987
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	575	1000	1073	3528	570
8	गोवा	1777	3548	4519	3596	371
9	गुजरात	250	1938	90368	22806	1320
10	हरियाणा	4859	12431	11909	106603	1214
11	हिमाचल प्रदेश	9531	92458	120455	13453	237
12	जम्मू और कश्मीर	284138	350026	82534	53912	0
13	झारखंड	8302	54056	135817	134636	144
14	कर्नाटक	213467	363317	321380	284030	70
15	केरल	179478	149153	129632	94601	1219
16	लद्दाख	0	0	26	6400	0
17	मध्य प्रदेश	281610	86884	242279	345621	20858

18	महाराष्ट्र	1041165	984321	363111	124409	39503
19	मणिपुर	894	5591	195	6739	264
20	मेघालय	11,588	74410	78537	89151	0
21	मिजोरम	2659	9800	9841	23675	10058
22	नगालैंड	1832	3435	4725	7758	2845
23	ओडिशा	79116	160774	279505	301680	22144
24	पुदुच्चेरी	0	0	0	50	0
25	पंजाब	36378	13359	122848	220862	10679
26	राजस्थान	2481	96389	71795	407326	90
27	सिक्किम	13,552	11249	6709	10548	2140
28	तमिलनाडु	106560	101513	78490	80135	18894
29	तेलंगाना	14506	2441	1701	105948	17547
30	त्रिपुरा	7743	63715	54228	75613	13056
31	उत्तराखंड	263409	82712	22342	101331	0
32	उत्तर प्रदेश	48241	144374	76302	525719	80
33	पश्चिम बंगाल	174974	272762	228081	191971	16905
	एनआईआरडीपीआर और अन्य	5229	1438	1941	2,179	200
	कुल	**42,02,293**	**39,92,382**	**35,54,942**	**45,73,491**	**3,18,401**

स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार

अनुलग्नक - II

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संशोधित आर.जी.एस.ए के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार) स्वीकृत कार्यात्मक पंचायत संसाधन केंद्रों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यात्मक एस.पी.आर.सी	कार्यात्मक डी.पी.आर.सी	कार्यात्मक बी.पी.आर.सी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	26	660
3	अरुणाचल प्रदेश	1	27	0
4	असम	1	13	3
5	बिहार	1	38	0
6	छत्तीसगढ़	0	27	146
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	2	0
8	गोवा	1	1	0
9	गुजरात	1	0	0
10	हरियाणा	1	22	0
11	हिमाचल प्रदेश	1	4	0
12	जम्मू और कश्मीर	1	2	0
13	झारखंड	1	24	264
14	कर्नाटक	1	30	216
15	केरल	1	10	152
16	लद्दाख	0	0	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	1	11	0
19	महाराष्ट्र	1	1	0
20	मणिपुर	0	4	18

21	मेघालय	1	12	55
22	मिजोरम	1	8	20
23	नगालैंड	1	0	0
24	ओडिशा	1	21	0
25	पुदुच्चेरी	0	0	0
26	पंजाब	1	22	154
27	राजस्थान	1	41	365
28	सिक्किम	1	1	0
29	तमिलनाडु	1	37	388
30	तेलंगाना	1	9	0
31	त्रिपुरा	1	3	58
32	उत्तर प्रदेश	1	25	0
33	उत्तराखंड	1	0	0
34	पश्चिम बंगाल	1	26	345
	कुल योग	**28**	**447**	**2,844**

अनुलग्नक - III

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संशोधित आर.जी.एस.ए के अंतर्गत निर्मित डी.पी.आर.सी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्षवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	1	0
3	अरुणाचल प्रदेश	6	0	2	4	0
4	असम	0	0	2	2	0
5	बिहार	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ	0	6	0	0	0
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	0	0
9	गुजरात	0	0	0	0	0
10	हरियाणा	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	0	0	4	0	0
13	झारखंड	0	0	0	0	0
14	कर्नाटक	0	0	0	1	0
15	केरल	0	0	0	0	0
16	लद्दाख	0	0	0	0	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
19	महाराष्ट्र	0	0	3	0	0

20	मणिपुर	2	0	4	0	0
21	मेघालय	0	0	0	0	0
22	मिजोरम	2	0	0	0	0
23	नागालैंड	0	0	0	0	0
24	ओडिशा	0	0	3	0	0
25	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0
26	पंजाब	0	0	0	0	0
27	राजस्थान	0	0	3	0	0
28	सिक्किम	0	3	1	0	0
29	तमिलनाडु	0	0	0	5	0
30	तेलंगाना	0	0	0	0	0
31	त्रिपुरा	0	0	2	0	0
32	उत्तर प्रदेश	0	0	2	0	0
33	उत्तराखंड	0	0	2	0	0
34	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल	**10**	**9**	**30**	**13**	**0**

अनुलग्नक - IV

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संशोधित आर.जी.एस.ए के अंतर्गत विकसित पंचायत शिक्षण केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27 (दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार)		कुल स्वीकृत	
		अनुमोदित पी.एल.सी	विकसित पी.एल.सी	अनुमोदित पी.एल.सी	विकसित पी.एल.सी	अनुमोदित पी.एल.सी	विकसित पी.एल.सी	अनुमोदित पी.एल.सी	विकसित पी.एल.सी	अनुमोदित पी.एल.सी	विकसित पी.एल.सी	अनुमोदित पी.एल.सी	विकसित पी.एल.सी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	2	1	1	1	6	6	एएपी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27	0	11	10
2	आंध्र प्रदेश	9	0	9	0	9	0	9	9		0	36	9
3	अरुणाचल प्र	23	0	23	0	50	7	37	0		3	133	10

	देश									है			
4	असम	2	0	4	0	14	0	14	14	नहीं	0	34	14
5	बिहार	5	1	10	0	50	9	50	47	ऐसा मा	12	115	69
6	छत्तीस गढ़	0	0	0	0	5	0	9	9	ना जाता रहा है	0	14	9
7	दादरा और न गर हवे ली ए वं दम न और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	दूर। यो जना के लिए लंबित है नवीनीक रण	0	0	0
8	गोवा	0	0	2	0	2	0	2	2		0	6	2
9	गुजरा त	10	0	33	0	33	0	33	0		0	109	0
10	हरिया णा	25	0	9	2	9	0	22	22		0	65	24
11	हिमाच ल प्रदे श	24	0	0	0	10	0	9	3		0	43	3
12	जम्मू और कश्मी र	12	0	12	12	20	0	60	20		0	104	32
13	झारखं ड	10	0	10	0	20	0	20	0		0	60	0
14	कर्नाट क	8	8	62	62	100	100	100	64		0	270	234
15	केरल	10	0	14	0	28	20	45	16		0	97	36
16	लद्दाख	10	0	4	0	4	0	4	0		0	22	0

17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	मध्य प्रदेश	9	7	10	0	20	10	203	104		0	242	121
19	महाराष्ट्र	12	0	45	0	79	79	68	68		0	204	147
20	मणिपुर	4	0	4	0	4	0	4	1		0	16	1
21	मेघालय	9	0	9	0	9	0	9	0		0	36	0
22	मिजोरम	7	0	0	0	7	0	7	7		0	21	7
23	नागालैंड	8	0	0	0	11	2	9	0		0	28	2
24	ओडिशा	9	0	60	0	60	60	100	100		0	229	160
25	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
26	पंजाब	10	0	10	3	20	4	10	2		0	50	9
27	राजस्थान	5	0	66	0	66	62	1,133	10		0	1,270	72
28	सिक्किम	15	0	15	10	20	9	10	0		0	60	19
29	तमिलनाडु	10	0	10	0	36	36	37	37		1	93	74
30	तेलंगाना	9	0	9	0	9	0	9	0		0	36	0
31	त्रिपुरा	9	0	8	0	8	8	27	27		0	52	35
32	उत्तराखंड	9	9	17	0	13	13	150	59		0	189	81

33	उत्तर प्रदेश	75	0	75	45	150	111	26	0		31	326	187
34	पश्चिम बंगाल	9	0	2	2	9	9	330	14		25	350	50
कुल		**359**	**27**	**534**	**137**	**876**	**540**	**2552**	**641**		**72**	**4321**	**1417**

अनुलग्नक - V

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर.जी.एस.ए योजना के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य	2023-24			2024-25			2025-26		
		आवंटित की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि*	आवंटित की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि*	आवंटित की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.79	0.79	1.28	2.12	2.12	1.18	1.00	1.00	2.12
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	21.35	2.52	2.52	59.64	35.00	35.00	77.29
3	अरुणाचल प्रदेश	72.09	72.09	89.97	70.00	70.00	77.94	57.00	57.00	62.51
4	असम	77.70	77.70	91.41	60.00	60.00	71.87	64.00	64.00	72.09
5	बिहार	25.00	25.00	51.81	0.00	0.00	75.08	26.00	26.00	40.00
6	छत्तीसगढ़	17.57	17.57	22.25	16.50	16.50	34.12	29.00	29.00	42.77
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.00	1.00	0.38	1.00	1.00	0.24	1.25	1.25	1.99
8	गोवा	0.89	0.89	1.00	1.35	1.35	1.29	1.00	1.00	2.39
9	गुजरात	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	15.48	8.00	8.00	15.57

10	हरियाणा	0.00	0.00	8.84	5.00	5.00	8.22	17.91	17.91	37.82
11	हिमाचल प्रदेश	19.31	19.31	69.30	27.21	27.21	42.94	14.00	14.00	21.63
12	जम्मू और कश्मीर	65.00	65.00	98.61	65.00	65.00	57.89	57.00	57.00	78.99
13	झारखंड	31.00	31.00	25.95	0.00	0.00	26.47	15.20	15.20	33.51
14	कर्नाटक	20.00	20.00	39.02	16.25	16.25	49.53	11.03	11.03	24.53
15	केरल	10.00	10.00	37.04	10.00	10.00	32.65	18.00	18.00	28.97
16	लद्दाख	1.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.58	0.72	0.72	0.92
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	32.17	32.17	74.16	40.00	40.00	96.82	49.95	49.95	86.19
19	महाराष्ट्र	116.12	116.12	194.26	80.00	80.00	134.79	54.49	54.49	91.33
20	मणिपुर	9.56	9.56	8.34	0.00	0.00	3.91	1.48	1.48	9.79
21	मेघालय	6.00	6.00	6.26	8.00	8.00	7.60	5.02	5.02	6.72
22	मिजोरम	10.00	10.00	15.64	12.00	12.00	19.63	16.50	16.50	21.03
23	नागालैंड	10.00	10.00	5.46	10.00	10.00	15.32	10.70	10.70	13.16
24	ओडिशा	27.33	27.33	44.22	20.00	20.00	60.15	62.24	62.24	109.62
25	पुदुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	10.00	10.00	23.06	5.00	5.00	23.89	30.30	30.30	56.93
27	राजस्थान	21.72	21.72	40.12	15.00	15.00	30.88	13.00	13.00	42.13
28	सिक्किम	6.00	6.00	7.90	7.00	7.00	7.19	3.21	3.21	6.79
29	तमिलनाडु	0.00	0.00	25.98	45.00	45.00	63.69	20.00	20.00	59.03
30	तेलंगाना	20.00	20.00	20.47	0.00	0.00	8.99	3.00	3.00	29.31
31	त्रिपुरा	7.43	7.43	10.96	10.00	10.00	20.24	29.99	29.99	32.40
32	उत्तर प्रदेश	84.13	84.13	158.95	38.77	38.77	180.84	28.05	28.05	80.67
33	उत्तराखंड	64.67	64.67	66.29	50.00	50.00	63.72	44.09	44.09	49.45
34	पश्चिम बंगाल	33.69	33.69	57.32	52.68	52.68	82.56	40.00	40.00	77.49
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसी	**14.69**	**14.69**	**-**	**23.77**	**23.77**		**23.63**	**23.63**	
	कुल	**814.86**	**814.86**	**1319.6**	**694.17**	**694.17**	**1375.3**	**791.76**	**791.76**	**1338.77**

				8			4			

***निधि के उपयोग में केंद्र सरकार का हिस्सा, राज्य सरकार का हिस्सा और पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष रा शि शामिल है। जारी की गई धनराशि केवल केंद्र सरकार के हिस्से को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, जारी की गई धनराशि में 30 जून 2025 तक एसएनए के माध्यम से और 1 जुलाई 2025 से एसएनए-स्प र्श दोनों के माध्यम से जारी की गई धनराशि शामिल है।**

अनुलग्नक - VI

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले 3 वर्षों (2023-2025) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिलावार जारी की गई पुरस्कार राशि का विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला पंचायत / राज्य स्तरीय संस्था	पिछले तीन वर्षों (2023-2025) के दौरान संबंधित ग्राम/ब्लॉक/जिला पंचायत या राज्य संस्था को जारी की गई पुरस्कार राशि। (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई धनराशि/अवॉर्ड राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	दक्षिण अंडमान	0.75	0.75
2	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	2.5	2.5
3	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	3	3
5	आंध्र प्रदेश	कृष्ण	1.5	1.5
6	आंध्र प्रदेश	वाईएसआर	0.75	0.75
7	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	0.25	0.25
9	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	1	1
12	असम	नगांव	1.75	1.75
13	असम	माजुली	1	1
18	असम	राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान	0.5	0.5
19	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.5	0.5
20	बिहार	नालंदा	0.5	0.5

21	बिहार	जहानाबाद	0.5	0.5
22	बिहार	रोहतास	1.25	1.25
23	बिहार	समस्तीपुर	0.5	0.5
24	छत्तीसगढ़	सरगुजा	0.5	0.5
25	छत्तीसगढ़	धमतरी	1	1
27	छत्तीसगढ़	जशपुर	0.25	0.25
28	गुजरात	पंच महल	1	1
29	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	0.75	0.75
30	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.75	1.75
32	हिमाचल प्रदेश	मंडी	0.25	0.25
33	हिमाचल प्रदेश	लाहौल और स्पीति	1	1
34	जम्मू और कश्मीर	बुडगाम	0.25	0.25
35	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	0.75	0.75
36	जम्मू और कश्मीर	कुपवारा	0.5	0.5
37	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	0.75	0.75
38	झारखंड	गिरिडीह	1	1
39	झारखंड	पाकुर	0.75	0.75
40	कर्नाटक	कोडागू	1	1
41	कर्नाटक	उडुपी	5	5
44	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	0.75	0.75
48	कर्नाटक	हसन	0.75	0.75
49	केरल	अलाप्पुझा	2	2
50	केरल	मलप्पुरम	1.5	1.5
52	केरल	त्रिशूर	0.5	0.5
53	केरल	वायनाड	1	1
55	केरल	केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान	2	2
61	लद्दाख	लेह लद्दाख	1.5	1.5
63	महाराष्ट्र	सांगली	2	2
65	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	0.5	0.5
66	महाराष्ट्र	पुणे	1	1

67	महाराष्ट्र	नासिक	0.5	0.5
68	महाराष्ट्र	सतारा	2.5	2.5
69	महाराष्ट्र	गोंडिया	2	2
71	महाराष्ट्र	भंडारा	1	1
72	महाराष्ट्र	यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी	0.5	0.5
78	मिजोरम	सैतुअल	1.5	1.5
79	मिजोरम	मामित	1	1
80	ओडिशा	गंजम	17.125	17.125
86	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.5	0.5
90	ओडिशा	कोरापुट	3	3
91	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.5	0.5
92	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.75	0.75
93	ओडिशा	राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान	0.75	0.75
95	ओडिशा	केन्दुझार	0.5	0.5
96	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.375	0.375
99	ओडिशा	मयूरभंज	0.75	0.75
100	ओडिशा	राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान	0.75	0.75
101	सिक्किम	गेजिंग	0.5	0.5
102	तमिलनाडु	कोयंबटूर	2	2
104	तमिलनाडु	तेनकासी	0.5	0.5
106	तेलंगाना	भद्राद्री कोठागुडेम	1	1
107	तेलंगाना	जांगोआन	1	1
108	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	1.25	1.25
109	तेलंगाना	राजन्ना सिरसिल्ला	0.5	0.5
110	तेलंगाना	महबूबनगर	1	1
111	तेलंगाना	मोमिनपेट	0.75	0.75
112	तेलंगाना	सूर्यापेट	1	1

113	तेलंगाना	करीमनगर	1.75	1.75
114	तेलंगाना	मुलुगु	3	3
115	तेलंगाना	आदिलाबाद	0.5	0.5
116	तेलंगाना	रंगारेड्डी	1.75	1.75
118	तेलंगाना	विकाराबाद	0.5	0.5
119	तेलंगाना	संगारेड्डी	0.25	0.25
121	तेलंगाना	जोगुलम्बा गडवाड	0.75	0.75
122	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली	2	2
123	त्रिपुरा	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद	3	3
124	त्रिपुरा	उनाकोटी	1.5	1.5
126	त्रिपुरा	गोमती	8	8
132	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	0.25	0.25
133	त्रिपुरा	सेपाहिजाला	5	5
134	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	0.5	0.5
135	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	1.75	1.75
136	उत्तर प्रदेश	बरेली	0.75	0.75
137	उत्तर प्रदेश	आगरा	1	1
